तत्कालीन सिविल सर्जन के विरुद्ध आरोप पत्र

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला

नवभारत न्यूज

सतनाद्ध 24 जून. थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले में जिला चिकित्सालय में संचालित में रक्त कोष की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. जिसकी जिम्मेदारी तय करते हुए तत्कालीन सिविल सर्जन के विरुद्ध 4 बिंदुओं को आरोप पत्र जारी किया गया है. पखवाड़े भर के भीतर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी.

वरिष्ठ संयुक्त संचालक शिकायत मप्र भोपाल द्वारा जिला चिकित्सालय सतना के तत्कालीन सिविल सर्जन और वर्तमान में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी सतना डॉ. मनोज शुक्ला के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है. जारी आरोप पत्र में उल्लेखित 4 बिंदुओं पर विस्तृत जवाब मांगा गया है. जिसके प्रथम बिंदु में यह उल्लेख किया गया है कि रक्त कोष में ब्लड डोनरों का उचित रिकार्ड संधारण नहीं किया गया. रक्त की जांच के लिए उपयोग में लाई गई किट का कंपनी विवरण, बैच नंबर आदि संधारित नहीं किया गया. बच्चों को रक्त चढ़ाने से पहले एचआईवी सहित अन्य परीक्षण नहीं किया गया. जिसकी वजह से यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है. वहीं दूसरे आरोप में यह उल्लेख किया गया है कि रक्त कोष में डोनरों की जांच निर्धारित मानकों के हिसाब से नहीं की गई. चूंकि रक्त कोष का निर्धारित मानकों के हिसाब से संचालन कराना तत्कालीन सिविल सर्जन की जिम्मेदारी थी. लेकिन उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन नहीं करना, गंभीर अनुशासनहीनता माना गया. इसी कड़ी में तीसरे बिंदु में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तत्कालीन सिविल सर्जन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. इसके अलावा चौथे बिंदु में स्टैंडर्ड क्लीनिकल केयर गाइडलाइन और सेफ्टी प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने जैसे आरोप तत्कालीन सिविल सर्जन के विरुद्ध लगे हैं. आरोप पत्र में यह उल्लेख भी स्पष्ट है कि पखवाड़े भर के भीतर जवाब प्रस्तुत न होने की दिशा में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी.

क्या है मामला

लगभग 6 महीने पहले जब इस बात की जानकारी सामने आई कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया दिया गया तो जिला ही नहीं बल्कि राज्य से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई थी. हलांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र स्तर की टीम भी सतना पहुंची और जांच की. लेकिन अपेक्षित जानकारी सामने नहीं आने पर इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर दिया गया. वैसे तो इस तरह की गंभीर लापरवाही सामने आने पर रक्त कोष प्रभारी सहित वहां पदस्थ 2 टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया था. लेकिन विशेष जांच दल के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अब उक्त मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है.

कैट ने एसएएस अधिकारी को दी राहत

आईपीएस चयन-2025 में संदीप मिश्रा के नाम पर होगा विचार

नवभारत न्यूज

रीवा , 24 जून. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के न्यायिक सदस्य अखिल कुमार श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्या की युगलपीठ ने विभागीय कार्रवाई में विलंब के कारण किसी अधिकारी के पदोन्नति अधिकार प्रभावित होने के मामले में हस्तक्षेप किया है।

अधिकरण ने राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी व वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा संदीप मिश्रा की उम्मीदवारी को आईपीएस चयन वर्ष-2025 की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में विचारार्थ शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उनके चयन संबंधी निर्णय को अंतिम आदेश तक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा।

मामले में अधिवक्ता पंकज दुबे व अक्षय खंडेलवाल ने अधिकरण के समक्ष दलील दी कि दंड की प्रभावशीलता समाप्त हो चुकी है, फिर भी उसके आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर किए जाने की आशंका है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2010 में जारी आरोप-पत्र के संबंध में जांच पूरी होने पर वर्ष 2014 में मिश्रा को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसी प्रकरण के संदर्भ में वर्ष 2018 में दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का दंडादेश पारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस विलंबित विभागीय कार्रवाई का प्रतिकूल असर अब उनकी आईपीएस पदोन्नति की पात्रता पर पड़ रहा है, जबकि चयन वर्ष-2025 के लिए उनका नाम विचारार्थ सूची में शामिल है और डीपीसी की बैठक 25 जून को प्रस्तावित है। कैट ने प्रथम दृष्टया मामला विचारणीय मानते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। अधिकरण ने राज्य शासन एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है तथा अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 निर्धारित की है।

वेब सीरीज़ ग्राम चिकित्सालय में रीवा के अंकित को मिला काम

नवभारत न्यूज

सतना,24 जून. विंध्य क्षेत्र और रीवा के उभरते हुए अभिनेता अंकित मिश्रा इन दिनों अमेज़न प्राइम की बहुचर्चित वेब सीरीज़ ग्राम चिकित्सालय सीज़न-2 को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज़ में अंकित ने रोहिणी के भाई का एक बेहद दिलचस्प किरदार निभाया है।

सीरीज़ के एक दृश्य में अंकित अपने जीजा के साथ नोकझोंक करते हुए दिखाई देते हैं। ठेठ ग्रामीण लहज़े और संवाद अदायगी के इस दृश्य में अंकित ने अपने दमदार अभिनय से जान फूंक दी है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

अपनी इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए अभिनेता अंकित मिश्रा ने सीरीज़ के निर्देशक ललितम तिवारी और %एंटी कास्टिंग% की टीम का विशेष आभार व्यक्त किया है।

मड़िला कला में सरकारी जमीन से काटे गए आधा सैकड़ा से ज्यादा हरे पेड़

अवैध कब्जा करने काटे गए थे पेड़, वन विभाग ने मौके पर की जब्ती की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सीधी/चुरहट, 24 जून. वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय चुरहट अंतर्गत ग्राम मड़िला कला में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के लिये आधा सैकड़ा से अधिक सागौन एवं सेधा के पौधे काटने के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की है।

मिली जानकारी के अनुसार मड़िला कला निवासी रमाशंकर विश्वकर्मा पिता शीतल विश्वकर्मा एवं शीतल विश्वकर्मा पिता मथुरा विश्वकर्मा द्वारा कथित रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से आधा सैकड़ा से अधिक सागौन एवं सेधा पेड़ों को काटकर भूमि का समतल करा लिया था। बताया गया है कि आरोपियों ने शासकीय भूमि को कृषि योग्य बनाकर अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था। बड़ी संख्या में बेशकीमती पेड़ों को काटने के लिये बड़ी इलेक्ट्रिक आरी का उपयोग किया गया था। उधर बताया गया है कि संबंधित व्यक्तियों के पास पहले से ही लगभग 2 एकड़ की पट्टे की भूमि उपलब्ध है फिर भी इनके द्वारा अवैध कब्जा का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर आज वन विभाग ने मौके पर निरीक्षण किया, जहां बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ कटे पाये गये। मामले को गंभीरता में लेते हुये चुरहट डिप्टी रेंजर तुलसीदास प्रजापति के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुये काटे गये पेड़ों के टुकड़ों एवं इलेक्ट्रिक आरी की जब्ती कार्रवाई की। वन विभाग द्वारा आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नुकसान का आंकलन करते हुये आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मृत अजगर का भी वन विभाग करा रहा पीएम

जानकारी के अनुसार जहां सागौन एवं सेधा काटने वाले आरोपी रमाशंकर विश्वकर्मा पिता शीतल विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 26 के तहत कार्रवाई तो होना ही है इसके साथ ही वहां एक अजगर भी मृत अवस्था में मिला। जिसे कि वन विभाग की टीम ने कब्जे में लेकर उसका पीएम करा रहे हैं। इस पर भी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है।

इनका कहना है

इस मामले में जो भी दोषी होंगे जंगल की जमीन के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें बक्सा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रीती अहिरवार, वन मंडलाधिकारी सीधी

इनका कहना है

पूरे मामले कि जांच की जा रही है। फारेस्ट अधिनियम की धारा 26 के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही अजगर जो मृत अवस्था में मिला है उसका पीएम डॉक्टर के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें जो दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। रेंजर ने बताया कि 9 सिल्ली सागौन एवं कुछ मात्रा में सेधा की लकड़ी पाई गई है। जिसे जप्त कर कार्रवाई हो रही है।

नवीन सिंह बघेल, वन परिक्षेत्राधिकारी चुरहट

कच्ची सड़क कार्यस्थल पर जांच के लिए पहुंचे एसडीएम एवं एसडीओ

हर्राचंदेल में डब्ल्यूआरडी के नहर पर सड़क निर्माण कराने का मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 जून। देवसर के माड़ीबांध से हर्राचंदेल नहर पर कच्ची सड़क का निर्माण कराए जाने का मामला काफी गरमा गया। नवभारत में 22 जून को प्रकाशित खबर पर आज एसडीएम सौरभ मिश्रा समेत जल संसाधन विभाग के एसडीओ रत्ना द्विवेदी व राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी कार्य स्थल पर पहुंच जायजा लिया।

जहां पता चला कि ग्राम पंचायत के द्वारा बगैर तकनीकि एवं प्रशासकीय स्वीकृति कार्य कराया जा रहा है। हालांकि कार्य कराने से नही रोका, लेकिन भूमि स्वामियो की सहमति आवश्यक किया है। ज्ञात हो कि जनपद पंचायत देवसर के क्षेत्र के हर्राचंदेल में माड़ी जलाशय के सिचाई नहर को ध्वस्त कर पंचायत प्रतिनिधियों के मौजूदगी में कच्ची सड़क का नव निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जहां स्थानीय किसानों ने इसका विरोध किया और कहा कि जब नहर को ही ध्वस्त कर दिया गया है,तो फिर खेतो में पानी कैसे पहुंचेगा। यह मामला काफी तूल पकड़ा और नवभारत ने प्रमुखता के साथ खबर को प्रकाशित किया। जहां आज एसडीएम देवसर और राजस्व अमला के साथ-साथ जल संसाधन विभाग के एसडीओ स्थल पहुंच जांच पड़ताल कर जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन ने माना कि सिचाई नहर पर सड़क बनाई जा रही है, जो गलत है। उसी दौरान यह भी जानकारी मिली कि बिना टीएस एवं एएस के ही कार्य कराया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पंचायत के प्रतिनिधियों पल्ला भी झाड़ लिया। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कार यह सड़क किसके द्वारा बनाई जा रही थी। सड़क की लम्बाई दूरी 500 मीटर बताई जा रही है। चर्चा है कि पंचायत के द्वारा सुनियोजित तरीके से यह कार्य कराया जा रहा था। मामला गरमाने के बाद अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। वहीं एसडीएम एवं जल संसाधन विभाग ने कहा कि आपसी सहमति से ही सड़क का कार्य कराएं। नहर को ध्वस्त किया है तो, उसे ठीक करना पड़ेगा। फिलहाल कार्यस्थल पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामला कुछ हद तक शांत हुआ।

15 जून से मिट्टी का कार्य बंद, फिर मनमानी

आरोप लगाया जा रहा है कि 15 जून से मिट्टी से जुड़े निर्माण कार्यो को सरकार के द्वारा ही बंद करा दिया जाता है। इसके बावजूद हर्राचंदेल में कच्ची सड़क का कार्य कराया जा रहा था और उसमें भी बगैर किसी एएस एवं टीएस के। चर्चा है कि पंचायत ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर सवाल उठाया जा रहा है कि इतना दानवीर कौन है, जो 500 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण कार्य करा रहा है। भंडाफोड़ होने के बाद मामला सामने आ गया। नही तो पुरानी तिथियों में यानी 15 जून के पहले एएस एवं टीएस कराकर 15वें वित्त के मद से कार्य मंजूरी दिखा कर खेला कर लिया जाता। परंतु अब पंचायत के सामने कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं।

इनका कहना है

पंचायत से जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया है कि बिना तकनीकि एवं प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य कराएं जा रहे थे। यह कार्य किसी निजी व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है। यदि पंचायत के द्वारा कार्य कराने की शिकायत मिलेगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।

संजीव तिवारी सीईओ जनपद पंचायत, देवसर

एन सी एल NCL
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरत्न कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)
सूचना संख्या एन.सी.एल./एसजीआर/विपणन/ई-ऑक्सन/26-27/646 दिनांक : 23.06.2026
सीआईएल ई-ऑक्सन स्कीम 2022 के माध्यम से जून 2026 माह मे कोयले की बिक्री की सूचना
नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, म. प्र. सीआईएल ई-ऑक्सन स्कीम 2022 के माध्यम से "कोयले" की बिक्री का प्रस्ताव पेश करती है, जिसमें कोई भी क्रेता (व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी इत्यादि) भाग ले सकता है और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरीये कोयला प्राप्त कर सकता है। "जून 2026" के लिये दिनांक "30.06.2026" को होने वाले ई-ऑक्सन से संबंधित विस्तृत सूचना तथा नियम एवं शर्ते एनसीएल की वेबसाइट "www.nclcil.in", सर्विस प्रोवाइडर "सीएमपीडीआई" की वेबसाइट https://www.coaleauction.co.in, तथा विपणन एवं विक्रय विभाग, एनसीएल सिंगरौली के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।
R-26 महाप्रबंधक (वि. एवं वि.) एनसीएल सिंगरौली

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
(An Institute of National Importance)
G.E. Road, Raipur - 492010 (CG) Phone: (0771) 4270619
Email: registrar@nitrr.ac.in, Website: www.nitrr.ac.in
Advertisement No./NITRR/R-1/Advt./2026/453 Dated 24/06/2026
प्रवेश सूचना (ADMISSION – NOTICE)
योग्य अभ्यर्थियों से एप्लाइड जियोलॉजी (Applied Geology) में 3 वर्षीय एम.टेक (M. Tech.) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	डिग्री	विभाग
1.	एम.टेक (एप्लाइड जियोलॉजी) 3 वर्षीय कार्यक्रम	एप्लाइड जियोलॉजी विभाग

इच्छुक अभ्यार्थी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तों, नियम एवं शर्तों, उपलब्ध सीटों तथा आवेदन शुल्क आदि की विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.nitrr.ac.in/admission.php पर जाएं। ऑन लाइन आवेदन/ईमेल के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.7.2026 है। कुल सचिव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर

विवि ने पीजी चौथे सेमेस्टर की बदली परीक्षा तारीख

नवभारत न्यूज

सतना,24 जून. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने सत्र जून 2026 के अंतर्गत होने वाली स्नातकोत्तर (पीजी) चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण संशोधित अधिसूचना जारी की है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, सेमेस्टर पद्धति परीक्षा जून 2026 के तहत एमए, एमएचएससी, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमबीए और एलएलएम पार्ट-2 टर्म-2 के चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की तारीखों में बदलाव किया गया है.अब यह परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई हैं और आगामी 2 जुलाई से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को कराने में लगातार समय-सारणी बदल रहा है, जिसके कारण सत्र आए दिन पिछड़ रहा है.लेकिन इस बार जो लापरवाही सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है. आमतौर पर जून का महीना 30 दिन का होता है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक समय-सारणी में बकायदा 31 जून की तिथि जारी कर दी है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार-बार बदलते नियमों और कैलेंडर से गायब इस तारीख की वजह से छात्र असमंजस में हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन की किरकिरी हो रही है

जारी आदेश में जून महीना 31 का हुआ

इस अजीबोगरीब समय-सारणी के अनुसार, छात्र 22 जून 2026 से लेकर विश्वविद्यालय की कथित 31 जून 2026 की तारीख तक सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इस निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद, यदि कोई छात्र आवेदन करना चाहता है, तो उसे 1 जुलाई 2026 से लेकर परीक्षा संचालित होने के ठीक एक दिन पूर्व तक पंद्रह सौ रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा.

बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा अवधि बढ़ी

जनता की मांग पर रेलवे का फैसला

नवभारत न्यूज

सतना, 24 जून. रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा की अवधि बढ़ा दी गई है।

इससे विशेष रूप से बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा की अवधि का विस्तार किया है।

जारी जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा 25 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 18248 रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में यह सुविधा 26 जून 2026 तक जारी रहेगी।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)
एनएसआईसी न्यू एमडीबीपी बिल्डिंग, तीसरा तल, ओखला इंड. एस्टेट (एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन के सामने), नई दिल्ली-110020
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
कॉनकॉर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु टेण्डरिंग की दो पैकेट प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

निविदा सं.	CON/Area-II/EP/MMLP-Tihi/PFT Line/E-93472/2026-27	
कार्य का नाम	एमएमएलपी-टीही, इन्दौर (मध्य प्रदेश) में सीसी ब्लॉक पेवमेंट कार्य तथा अन्य सहायक कार्यों सहित अतिरिक्त पीएफटी रेल लाइन का निर्माण।	
अनुमानित लागत	रु. 12,38,48,598.60 (जीएसटी सहित)	परिपूर्णन अवधि : 12 (बारह) माह
धरोहर जमा राशि	रु. 24,77,000.00 (ई-भुगतान के माध्यम से)	निविदा दस्तावेज की कीमत : नगण्य
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय)	रु. 3,540/- (सभी करों एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से)	
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	25.06.2026 (15:00 बजे से) 18.07.2026 (17:00 बजे तक)	
निविदा जमा करने की तिथि व समय (ऑनलाइन)	19.07.2026 को 17:00 बजे तक	
निविदा खुलने की तिथि एवं समय (ऑनलाइन)	20.07.2026 को 15:00 बजे	

वित्तीय पात्रता मापदण्ड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुभव, आदि, हेतु कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें परंतु पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस निविदा के बारे में शुद्धिपत्र/अनुशेष, यदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL तथा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र विज्ञापन जारी नहीं होगा। समूह महाप्रबंधक (परियोजनाएँ), फोन नं.: 011-41222500

भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड
RESERVE BANK OF INDIA SERVICES BOARD
विज्ञापन सं. आरबीआईएसबी/बीए/02/2026-27
भारतीय रिज़र्व बैंक में पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर साइट इंजीनियरों की लैटरल भर्ती
भारतीय रिज़र्व बैंक में निम्नलिखित पदों के लिए पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर साइट इंजीनियरों की लैटरल भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

विभाग का नाम – परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय				
क्रम संख्या	पद का नाम	स्तर/लेवल (समतुल्य ग्रेड)	रिक्तियों की संख्या	कार्य का स्थान*
1	परामर्शदाता साइट इंजीनियर (सिविल)	स्तर – 2 (ग्रेड 'बी')	1	रायपुर
2	परामर्शदाता साइट इंजीनियर (सिविल)	स्तर – 3 (ग्रेड 'सी')	6	चंडीगढ़/ जम्मू/ लखनऊ/ मुंबई
3	परामर्शदाता साइट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	स्तर – 3 (ग्रेड 'सी')	1	मुंबई
	कुल	–	8	–

* चयनित उम्मीदवारों को बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक के किसी भी प्रोजेक्ट में तैनात किया जा सकता है, भले उम्मीदवारों द्वारा चयनित कार्य का स्थान कुछ भी हो।
2. अन्य सभी विवरणों जैसे पात्रता मानदंड, रिक्तियों के आरक्षण, चयन योजना, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और अन्य अनुदेशों के लिए कृपया 29 जून 2026 को बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित होने वाले विस्तृत विज्ञापन को देखें। उम्मीदवार उक्त पदों के लिए केवल बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तथा आवेदन शुल्कों/सूचना प्रभारों के भुगतान हेतु विंडो : 29 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 (सायः 06:00 बजे तक)
टिप्पणी:
(i) बोर्ड को इन तिथियों में किसी भी तरह के परिवर्तन का अधिकार है।
(ii) उक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जन-जागरुकता सबसे प्रभावी उपाय है : सियाज

सेफ क्लिक साइबर जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 जून। साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लीक संस्करण 2.0 का शुभारंभ आज 24 जून को जिला पुलिस कार्यालय सिंगरौली स्थित रुस्तमजी कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। यह अभियान आज बुधवार से 8 जुलाई तक जिलेभर में संचालित किया जाएगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी सियाज केएम की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सीएसपी विंध्यनगर उमेश प्रजापति, थाना प्रभारी बैढ़न अशोक सिंह परिहार, थाना प्रभारी विंध्यनगर अर्चना द्विवेदी, थाना प्रभारी नवानगर अनिल पटेल, सूबेदार आशीष तिवारी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य मौजूद रहे।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं तथा आमजन को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जन-जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने उपस्थित जनों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी सहित अन्य जैसे नए साइबर अपराधों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी पुलिस, सीबीआई, ईडी, आरबीआई अथवा अन्य जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। यदि कोई व्यक्ति वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से स्वयं को अधिकारी बताकर डराने, धमकाने अथवा धनराशि की मांग करने का प्रयास करे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। सेफ क्लीक 2026 अभियान के अंतर्गत आगामी 15 दिनों तक जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, बाजारों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, सोशल मीडिया, शॉर्ट फिल्म, जनसंवाद एवं अन्य माध्यमों से नागरिकों को साइबर सुरक्षा एवं सायबर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99